धन-कर

धारा 2 का संशोधन।

109. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (डक) के उपखंड (i) की मद (1) में, ''पांच लाख'' शब्दों के स्थान पर, ''दस लाख'' शब्द 1 अप्रैल, 2013 से रखे जाएंगे। 1957 का 27

धारा 17 का संशोधन।

110.धन-कर अधिनियम की धारा 17 में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(क) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है), कर से प्रभार्य कोई शुद्ध धन, किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गया है :'';

(ख) उपधारा (1क) में,—

(i) खंड (क) में, ''खंड (ख)'' शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात् ''या खंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ग) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, किन्तु सोलह वर्ष से अनधिक, व्यपगत हो चुके हों तो जब तक कि कर से प्रभार्य शुद्ध धन, भारत के बाहर अवस्थित उन आस्तियों मद्दे (जिनके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) निर्धारण से छूट न गया हो ।'';

(iii) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ग) जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि उसके पास भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) है ।'' ;

(iv) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथा संशोधित इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे ।''।

धारा 17क का संशोधन।

111. धन-कर अधिनियम की धारा 17क में, 1 जुलाई, 2012 से,—

(i) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष या कोई पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2010 के पूर्व प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष है'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2011 के पूर्व'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक में, ''1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2011 के पूर्व'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 45 का संशोधन।

112. धन-कर अधिनियम की धारा 45 में, खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1957 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

''(ट) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन निगमित भारतीय रिजर्व बैंक ।''। 1934 का 2

कतिपय मामलों में आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन मांग, आदि का विधिमान्यकरण।

113. किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी के शेयर या शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप या भारत के बाहर किसी करार के परिणामस्वरूप या अन्यथा, भारत में स्थित किसी पूंजी आस्ति के अंतरण द्वारा या उससे प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय के संबंध में, आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन भेजी गईं या भेजे जाने के लिए तात्पर्यित सभी सूचनाएं, या उद्गृहीत, मांग, निर्धारित, अधिरोपित, संगृहीत या वसूल किए जाने अथवा उद्गृहीत, मांग, निर्धारित, अधिरोपित, संगृहीत या वसूल किए जाने के लिए तात्पर्यित विधिमान्य रूप से भेजी गई या की गई समझी जाएंगी और कर की सूचना, उसका उद्ग्रहण, मांग, निर्धारण, अधिरोपण, संग्रहण या वसूली विधिमान्य होगी और सदैव विधिमान्य रही समझी जाएगी और इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसे संव्यवहारों से, जो भारत के बाहर किए गए हैं, उद्भूत पूंजी अभिलाभों के संबंध में कर है और तदनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उद्गृहीत, मांग, निर्धारित, अधिरोपित या जमा किए गए तथा ऐसे प्रारंभ से पूर्व किसी अवधि के लिए प्रभार्य, किंतु ऐसे प्रारंभ से पूर्व संगृहीत या वसूल न किए गए किसी कर को आय-कर अधिनियम, 1961 के, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा संशोधित किए गए, उपबंधों के अनुसार संगृहीत या वसूल और विनियोजित किया जा सकेगा और किसी भी प्रकार के किसी प्रतिदाय का कोई दायित्व या बाध्यता नहीं होगी । 1961 का 43